भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3347

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बिहार में एमबीबीएस सीटों में वृद्धि

3347. श्री दिनेश चंद्र यादव:

श्री कौशलेन्द्र कुमार:

श्री रामप्रीत मंडल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025-26 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार आगामी पाँच वर्षों में 75,000 नई एमबीबीएस सीटें बढ़ाने की योजना के अंतर्गत बिहार में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं तथा देशभर में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) बिहार के उन सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों का ब्यौरा जिनमें एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है और प्रत्येक संस्थान में वर्तमान और प्रस्तावित सीटों की संख्या, आवश्यक अनुमोदनों की स्थिति तथा संभावित समय-सीमा क्या है; और

(ग) बिहार में एमबीबीएस सीटों की संख्या को बढ़ाने हेतु स्वीकृत निधियों और किए गए व्यय तथा नए मेडिकल कॉलेजों की प्रगति एवं वर्तमान संस्थानों के उन्नयन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से प्राप्त अनुमोदनों सहित उक्त योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा "मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना" के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे अल्प-सेवित क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ कोई सरकारी अथवा निजी मेजिकल कॉलेज नहीं है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारों में निधियों की भागीदारी का अनुपात पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों के लिए 60:40 निर्धारित है। योजना के अंतर्गत परिकल्पित सभी 157 चिकित्सा कॉलेजों को तीन चरणों में अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है, जिनमें बिहार राज्य के 08 मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। इनके लिए कुल 1,628 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, नए स्नातकोत्तर (पीजी) विषय प्रारंभ करने तथा पीजी सीटों में वृद्धि के

उद्देश्य से राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन संबंधी केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत बिहार के 07 सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में 314 पीजी सीटों का अनुमोदन किया गया है। इनके लिए कुल 212.42 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत की गई है।

सरकार ने वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक प्रति सीट 1.50 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई सीमा लागत के साथ 5000 स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों की वृद्धि हेतु राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मौजूदा चिकित्सा महाविद्यालयों/स्वतंत्र स्नातकोत्तर संस्थानों/सरकारी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के चरण-III तथा 5023 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि हेतु मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के विस्तार को अनुमोदित किया है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश नवंबर, 2025 में जारी किए गए हैं जिनके तहत बिहार सहित, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र से अनुरोध किया गया है कि समुचित अंतराल विश्लेषण के साथ व्यापक परियोजना रिपोर्ट भेजें। तथापि, अब तक बिहार राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
